संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश

चतुर्थतल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

विषयः– आई.टी.आई. की विभिन्न ट्रेड में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आयोजित लेटरल एन्ट्री काउंसिलिंग कार्यक्रम

(सत्र 2009–10)

आई.टी.आई. के विभिन्न ट्रेडों से उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होने एमपी आनलाईन की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन जमा किये है, वे निम्नलिखित काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय, श्यामलाहिल्स, भोपाल में प्रवेश लेने हेतु/प्रवेश का अवसर लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैंः–

दिनांक	समय	श्रेणी	प्राप्तांक (अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक जिसमें 12वीं (पी.सी.एम)/राष्ट्रीय प्रतियोगिता का 10 प्रतिशत अधिभार सम्मिलित है।)
27/10/2009	प्रातः10:00 बजे	अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), तथा अनारक्षित श्रेणी (UR) के **केवल महिला उम्मीदवार**	जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो
	प्रातः 11:00 बजे	समस्त अनुसूचित जनजाति (ST) (पुरूष)	जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो
	अपरान्ह 2:00बजे	समस्त अनुसूचित जाति (SC) (पुरूष)	जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो
28/10/2009	प्रातः10:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष)	77 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
	अपरान्ह 2:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष)	71 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
29/10/2009	प्रातः 10:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष)	जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो

नोटः– अनारक्षित श्रेणी की सीटों हेतु, आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिन्होने अपनी श्रेणी की काउंसिलिंग में सीट का आवंटन करा लिया है वे चाहे तो अन्य बेहतर विकल्प हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम के आधार पुनः उपस्थित हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय प्राप्त प्रिंट आऊट की प्रतिलिपि निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगी। साथ ही उनकी फोटोप्रतियों का एक सेट काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा :–

(1) अर्हकारी परीक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उत्तीर्ण ट्रेड की अंकसूची

(2) 10+2 परीक्षा की पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण 10वीं कक्षा की परीक्षा की अंक सूची ।

(3) 10+2 परीक्षा की पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकसूची (यदि लागू हो)।

(5) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र।

(6) आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो)।

(8) राष्ट्रीय स्तर पर भाग ली गई खेलकूद प्रतिस्पर्धा का प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो)।

(9) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को परिवार की समस्त स्त्रोत का नवीनतम प्रमाण–पत्र (यदि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रेल 2007 के पूर्व जारी किया गया हो)

(10) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ।

(11) निर्धारित शिक्षण शुल्क के अग्रिम भुगतान एवं काउंसिलिंग शुल्क हेतु "संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश"के नाम भोपाल में देय रूपये 1000/– एवं 500/–रूपये के दो अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफट लाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को कोई अग्रिम शिक्षण शुल्क देय नहीं है परन्तु इन उम्मीदवारों को काउंसिलिंग शुल्क के रूप में रूपये 500/–का डिमाण्ड ड्राफट लाना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग में शामिल होता हैं और वह सीट का चयन नहीं करता या उसे कोई सीट आंवटित नहीं होती है, तो उसे रूपये 1000/– की राशि का डिमाण्ड ड्राफट वापिस कर दिया जावेगा परन्तु रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफट वापिस नहीं होगा।

प्रवेश के लिये पात्र पाये जाने पर उम्मीदवारों को सीटों/संस्थानों का आवंटन पूर्णतयाः मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।

यदि किसी अपरिहार्य कारणवश काउंसिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब होता है, तो उम्मीदवार को काउंसिलिंग में आवंटन होने तक रूकना पड़ सकता है। जिसकी व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं करनी होगी।

रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी संचालनालय की वेब साईट– www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश